

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 281/2024

अनवान : -

1. हार्दिक नाबालिग पुत्र रोहताश जरिये कुदरती बली माता ममता पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी भरवाना हाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

- सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. रोहताश पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भरवाना तहसील नोहर।
3. माया देवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी भीमसैन जाति जाट निवासी भरवाना हाल निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. मन्जू देवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी अर्जुनराम जाति जाट निवासी भरवाना हाल निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
7. उप पंजीयक नोहर/रामगढ तहसील नोहर।
8. उप पंजीय भादरा तहसील भादरा।

- गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता सायल


2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक: 05/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स० 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि में से 633/12650 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 2 के नाम व 12017/25300 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 3 के नाम व 1207/25300 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 4 के नाम व रोही मौजा 3 जीजीएम तहसील भादरा के खाता स० 36/26 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 1 के नाम व रोही मौजा 5 एमएसआर तहसील भादरा के खाता स० 44/50 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स० 39/35 की कुल 5.060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि जीताराम पुत्र रतु से जरिये विरासतन प्रताप, निहालसिंह, महावीर, ओमप्रकाश, राजकुमार के नाम दर्ज हुई है तथा रोही मौजा 2 जीजीएम तहोर के खाता स० 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि जो की हमारी पैतृक सम्पति से पैदाकर्ता भूमि है इसलिए सम्पूर्ण वाद भूमि पैतृक भूमि है। रोही मौजा 2 जीजीएम तहोर के खाता स० 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि का सायल के दादा ने जरिये दानपत्र दिनांक 16.05.2012 को 12017/25300 हिस्सा भूमि गैरसायल स० 2 व 3 प्रत्येक के व 633/12650 हिस्सा गैरसायल स० 1 के पक्ष में



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निष्पादित करवा दिया जिसका नामान्तरण संख्या 698 दिनांक 23.05.2023 को दर्ज व मंजूर हुआ है जो की सायल के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है। गैरसायल स0 2 जो की शराब के नशे का आदी है तथा गैरसायल स0 2 ता 4 के प्रभाव में है जिसके कारण से अपने नाम दर्ज समस्त भूमि गैरसायल स0 2 व 4 के नाम दर्ज करवाने व बेचान करने की सरेआम धमकी दे रहा है यदि गैरसायल स0 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो सायल को अपूर्ण्य क्षति होगी। इसलिए गैरसायल स0 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वह उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकि न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 3 जीजीएम तहसील भादरा के खाता स0 36/26 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमएसआर तहसील भादरा के खाता स0 44/50 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स0 39/35 की कुल 5.060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त समस्त भूमि दादालाई नही क्योंकि रोही मौजा 3 जीजीएम व रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 11/12 की भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं की अर्जित भूमि है जो की गैरसायल स0 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 10.12.1990 को खरीद की थी। गैरसालय स0 1 ने रोही मौजा 2 जीजीएम की भूमि स्वयं की खरीद शुदा भूमि होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 3 के पक्ष में बैयनामा करवा दिया जिसे शुन्य घोषित करवाने का सायल को कोई अधिकार नही है तथा उक्त भूमि के अलावा तहसील भादरा की भूमि का गैरसायल स0 1 रिकार्डेड खातेदार है एवं गैरसायल स0 1 के कब्जा काश्त में सायल बिना कब्जा के आधार पर घोषणात्मक वाद पेश करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि जीताराम पुत्र रतु से जरिये विरासतन प्रताप, निहालसिंह, महावीर, ओमप्रकाश, राजकुमार के नाम दर्ज हुई है तथा रोही मौजा 2 जीजीएम तहोर के खाता स0 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि जो की हमारी पैतृक सम्पत्ति से पैदाकर्ता भूमि है इसलिए सम्पूर्ण वाद भूमि पैतृक भूमि है। रोही मौजा 2 जीजीएम तहोर के खाता स0 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि का सायल के दादा ने जरिये दानपत्र दिनांक 16.05.2023 को 12017/25300 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 व 3 प्रत्येक के व 633/12650 हिस्सा गैरसायल स0 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया जिसका नामान्तरण संख्या 698 दिनांक 23.05.2023 को दर्ज व मंजूर हुआ है जो की सायल के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है। गैरसायल स0 2 जो की शराब के नशे का आदी है तथा गैरसायल स0 2 ता 4 के प्रभाव में है जिसके कारण से अपने नाम दर्ज समस्त भूमि गैरसायल स0 2 व 4 के नाम दर्ज करवाने व बेचान करने की सरेआम धमकी दे रहा है यदि गैरसायल स0 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो सायल को अपूर्ण्य क्षति होगी। इसलिए गैरसायल स0 1 ता 4 को जरिये स्थाई


अधिवक्ता
नोहर


निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वह उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकि न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त समस्त भूमि दादालाई नही क्योंकि रोही मौजा 3 जीजीएम व रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 11/12 की भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं की अर्जित भूमि है जो की गैरसायल स0 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 10.12.1990 को खरीद की थी। गैरसायल स0 1 ने रोही मौजा 2 जीजीएम की भूमि स्वयं की खरीद शुदा भूमि होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 3 के पक्ष में बैयनामा करवा दिया जिसे शुन्य घोषित करवाने का सायल को कोई अधिकार नही है तथा उक्त भूमि के अलावा तहसील भादरा की भूमि का गैरसायल स0 1 रिकार्डेड खातेदार है एवं गैरसायल स0 1 के कब्जा काशत में सायल बिना कब्जा के आधार पर घोषणात्मक वाद पेश करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावों के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णाय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावों में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा 3 जीजीएम तहसील भादरा के खाता स0 36/26 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमएसआर तहसील भादरा के खाता स0 44/50 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स0 39/35 की कुल 5.060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पैतृक भूमि है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की मुताबिक रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि व हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 की 10.12.1990 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है।


उक्त विचेनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रोही मौजा 3 जीजीएम तहसील भादरा के खाता स0 36/26 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमएसआर तहसील भादरा के खाता स0 44/50 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स0 39/35 की कुल 5.060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि को रहन, बैय करता है तो अपूर्णाय क्षति प्रार्थी को होगी क्योंकि भूमि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक पैतृक भूमि होना प्रतीत होता है है जबकि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि जो की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार स्वयं अर्जित भूमि है में अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णाय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 को होगी अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में


उपअड्ड अधिकारी
नोहर

आंशिक बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को रोही मौजा 3 जीजीएम तहसील भादरा के खाता स0 36/26 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमएसआर तहसील भादरा के खाता स0 44/50 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स0 39/35 की कुल 5.060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है लेकिन रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 3 जीजीएम तहसील भादरा के खाता स0 36/26 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमएसआर तहसील भादरा के खाता स0 44/50 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स0 39/35 की कुल 5.060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2024 को रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर